



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

कार्यालय, कुलसचिव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक / 5821 / परीक्षा / 2017

भोपाल, दिनांक 18/12/2017

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8272/2017 श्री शिवनाथ मराबी विरुद्ध कुलपति राजीव गांधी प्रैद्योगिकी वि.वि. एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2017 के अनुसरण में एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ छात्रों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति के लिये आवेदन किया जाता है अथवा मूल्यांकन के संबंध में याचिका दायर की जाती है, वहाँ छात्रों की मूल उत्तर पुस्तिकाएं अंतिम निर्णय तक संरक्षित रखी जाएँ।

(प्रो. संजय द्विवेदी)

कुलसचिव

पू. क्रमांक / 5822 / परीक्षा / 2017

भोपाल, दिनांक 18/12/17

प्रतिलिपि:-

1. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहा. कुलसचिव, मूल्यांकन एवं गोपनीय शाखा।
3. निज सचिव कुलपति / कुलाधिसचिव / कुलसचिव।
- ✓ 4. वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(प्रो. संजय द्विवेदी)

कुलसचिव